न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.02.2016	26.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जैन जाति महाजन निवासी आसाम कॉलोनी सिन्धी धर्मशाला के पीछे निवाई जिला टोंक मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
3–श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर, पीतल फैक्ट्री जयपुर
4–मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर, पीतल फैक्ट्री जयपुर
5–श्री अनिल शर्मा पुत्र स्व. श्री बी.एल. मीणा नॉमिनी मैसर्स सूर्या फ्रेश फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 14, दादरी रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्व नगर, यू.पी. निवासी ई–71, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली
6–मैसर्स सूर्या फ्रेश फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 14, दादरी रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्व नगर, यू.पी.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 26.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2015 को समय 05:00 पीएम पर मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉं पर श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अरविन्द कुमार ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में चार कार्टून एक लीटर पैक के पैक्ड अवस्था में **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

1885

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्देशा हुआ तो श्री अरविन्द कुमार को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री अरविन्द कुमार व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 011219 एवं पैकिंग की दिनांक 09.03.2015 थी, को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक लीटर पैक के चार मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** की चार मूल पैक प्रत्येक एक लीटर पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1018 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री अरविन्द कुमार तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1018 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जैन मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज दुकान नं. 3 गोदाम वालों का कटला, सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर, पीतल फैक्ट्री जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर, पीतल फैक्ट्री जयपुर को आवश्यक दस्तावेज चाहने बाबत् पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स सूर्या फ्रेश फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 14, दादरी रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्व नगर, यू.पी. का बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स सूर्या फ्रेश फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 14, दादरी रोड सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्व नगर, यू.पी. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म नं. 9 प्रस्तुत कर उक्त फर्म का नॉमिनी श्री अनिल शर्मा को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 3034 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस. / 1128 / एक्ट / 2015 / 636 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 22.09.2016 को ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **एप्पल ज्यूस (फ्रेश गोल्ड ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/–(अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 26.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक